

विषय :- नौतोड़ में भूमि का स्वीकार करना ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक, 21 अगस्त, 1976 के पैरा-2 के संदर्भ में स्पष्टीकरण करने का आदेश हुआ है कि 21-6-1976 से पहले ही के अवैध कब्जे नियमित किये जा सकते हैं परन्तु इसमें शर्त यह होगी कि इस पत्र के जारी होने के दो मास की अवधि के भीतर तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों पर छानवीन से जो मकान, दुकान इत्यादि मुकम्मल हुए पाये जाएँ ऐसे ही कब्जे नियमित किये जावे ।

यह भी ध्यान रखा जाये कि शायलात भूमि जो सरकारी हो गई है उसमें यदि रिहायशी मकान व गोशाला हिमाचल प्रदेश विलेज कामन लैंड वेस्टिंग व यूटिलाईजेशन एक्ट, 1974 के लागू होने से पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, उनके नीचे की भूमि का तवाबला नहीं लिया जाता है क्योंकि उपरोक्त एक्ट की धारा 3(2) के अन्तर्गत ऐसी भूमि सरकारी नहीं बनी ।

इस विषय में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि ऐसे कब्जों को नियमित करने हेतु प्रार्थना पत्र दो मास के भीतर प्राप्त हो जाएँ तथा उन्हें शीघ्रतः निपटाया जा सके ।

कृपया पावती भेजे ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव § राजस्व §
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या रेव-बी-9-13/71

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व § स § विभाग

दिनांक शिमला-2 10-12-1979.

प्रेषक:

अवर सचिव § राजस्व §
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :- नौतोड़ स्ल-27-बी के अन्तर्गत दी गई भूमि पर रिव्यू, रिविजन व अपीलों पर स्थगन आदेश ।

महोदय,

मुझे इस विभाग की समसंख्यक तार दिनांक 19-7-78 का क्रम जारी रखते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि यह आदेश रिव्यू, रिविजन व अपीलों पर भी लागू होंगे अर्थात् नौतोड़ नियम 27-बी के अन्तर्गत दी गई भूमि में रिव्यू, रिविजन व अपीलों की सुनवाई अगले आदेशों तक स्थगित रहेगी ।

कृपया पावती भेजे ।

भवदीय,

हस्ता/

उप सचिव § राजस्व §
हिमाचल प्रदेश

प्रतिपत्ति मण्डल आयुक्त, शिमला व कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ता/

उप सचिव § राजस्व §
हिमाचल प्रदेश